

बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

(131)

संख्या- 2725

दिनांक- 4/5/2004

स्वायत्त औद्योगिक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एवं पी० आई० टी० स्न० डी० पी० स्न० अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर कारगर नियंत्रण रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक बहुमंडलीय समन्वय समिति निम्नरूपेण गठित की जाती है :-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1- मुख्य सचिव, बिहार | - | अध्यक्ष |
| 2- गृह सचिव, बिहार | - | सदस्य |
| 3- आरक्षी महानिदेशक, बिहार | - | सदस्य |
| 4- उत्पाद आयुक्त सह सचिव, बिहार | " | सदस्य |
| 5- सचिव, स्वास्थ्य विभाग | - | सदस्य |
| 6- न्याय विभाग के संबंधी कार्य के प्रभारी, बिहार | - | |
| 7- आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, बिहार | - | सदस्य |
| 8- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो के वरीष्ठा स्थानीय पदाधिकारी, बिहार | - | सदस्य |

12। आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा सटी नारकोटिक्स वारंट फोर्स का गठन किया जायगा जो मादक द्रव्यों/ पदार्थों के दुरुपयोग पर कारगर नियंत्रण रखने हेतु नियमानुसार सभी कार्रवाई करेंगे।

। वे/डी०ई०एम०-1003/2000 ।
बिहार राज्यालय के आदेश से

। कृष्ण चौधरी ।
सरकार के विशेष सचिव ।

संख्या- 2725

पटना, दिनांक 4/5/2004

निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यालय के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सरकार के विशेष सचिव ।

4/5/2004